संख्या- / /XXIV(1)/2018/15/2011Vol I

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा/नियंत्रक अधिकारी,
यू0टी0ई0टी0, ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) **देहरादूनः दिनांक 01 अगस्त , 2018**

विषयः यू0टी0ई0टी0 परीक्षा 2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः उ0वि0शि0प0/यू0टी0ई0टी0 2018/167/2018–19, दिनांक 05.07.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि यू0टी0ई0टी0 परीक्षा 2018 के आयोजन के सम्बन्ध में है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी नवीन अधिसूचना दिनांक 28.06.2018 के प्राविधानों के अधीन 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी0एड0) अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2018 में सम्मिलित किये जाने की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है तथा यू0टी0ई0टी0, 2018 परीक्षा हेतु शासनादेश संख्याः 446, दिनांक 21.05.2018 द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम में आपके प्रस्तावानुसार एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्याः 502/XXIV(1)/2016-15/2011, दिनांक 05.05.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये एवं उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीया,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

संख्या-671 /XXIV(1)/2018/15/2011Vol I तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड एवं निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव/नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र जोशी)
उप सचिव

Scanned by CamScanner